सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 273 राँची, बुधवार, 27 मई, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

30 अगस्त, 2024

विषयः- विभागाधीन पूर्व में कार्यरत अतिरिक्त आँगनबाड़ी सेविका-सह-पोषण परामर्शी (पोषण सखी) के पुनर्बहाली की स्वीकृति ।

ज्ञापांक :- 05/म०बा०/पोषण सखी चयन-574/2015-2103--राज्य अन्तर्गत कार्यान्वित समेकित बाल विकास सेवाएँ सम्प्रति आँगनबाड़ी सेवाएँ एक महत्वकांक्षी अम्ब्रेला कार्यक्रम है जिसके तहत् कुपोषण तथा रक्तअल्पतता उन्मूलन के महत्ती उद्देश्य प्राप्ति हेतु महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड प्रयत्नशील है। इसके तहत् विभिन्न राज्य योजनाओंकार्यक्रमों तथा केन्द्र सरकार के समन्वयन में विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इनके माध्यम से 06-72 माह तक के बच्चों, किशोरी बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं तथा धातृ माताओं को समुचित पोषणाहार उचित स्वास्थ्य देखभाल, संदर्भ सेवाएँ, टीकाकरण जैसी विभिन्न सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही है।

2. राज्यान्तर्गत कार्यशील 38,432 आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से उक्त विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का संचालन कर विभाग उपर्युक्त उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर प्रगतिशील है। इनमें आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं यथा- आँगनबाड़ी सेविका, आँगनबाड़ी सहायिका एवं अतिरिक्त आँगनबाड़ी सेविका-सह-पोषण परामर्शी (पोषण सखी) की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही हैं।

3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कुपोषण एवं रक्तअल्पतता से अतिप्रभावित राज्य के छह जिलों को चिन्हित किया गया था जिनमें समेकित बाल विकास योजनाओं के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन संबंधी निर्गत अपने मार्गनिर्देश में प्रत्येक आँगनबाड़ी पोषक क्षेत्र हेतु एक-एक अतिरिक्त आँगनबाड़ी सेविका-सह-पोषण परामर्शी (पोषण सखी) को मानदेय आधारित सेवा पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गई थी ।

4. उपर्युक्त के आधार पर विभागीय संकल्पांक-2126, दिनांक-21.09.2015 तथा संकल्पांक-2620, दिनांक-03.12.2015 एवं एतद् अनुक्रमण में निर्गत विभागीय पत्रांक-881, दिनांक-04.04.2016 के माध्यम से राज्य के छह जिलों यथा- धनबाद, दुमका, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा तथा गोड्डा जिलों में कुल 10,388 अतिरिक्त आँगनबाड़ी सेविका-सह-पोषण परामर्शी (पोषण सखी) को मानदेय आधारित सेवा पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त संकल्पों के माध्यम से इन कर्मियों के चयन प्रक्रिया, मानदेय एवं अन्य शर्त्तों सहित दायित्व संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये। एतद् आधार पर वित्तीय वर्ष-2015-16 एवं कालांतर में पोषण सखियों की बहाली की गई ।

तत्समय इन कर्मियों को प्रति माह रू०-3,000/- मानदेय भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश का व्यय अनुपात 75: 25 निर्धारित था ।

5. महिला के गर्भधारण से उसके शिशु के द्वितीय जन्मदिवस तक अर्थात 1000 दिन शिशु के शारीरिक, मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण अवधि है एवं इस दरम्यान् जच्चा-बच्चा के विशेष देखभाल सुनिश्चित कराने, नियमित स्वास्थ्य जाँच एवं वृद्धि निगरानी तथा

इनका अनुश्रवण, समुचित स्वास्थ्य, पोषण एवं संदर्भ सेवाएँ उपलब्ध कराने इत्यादि में पोषण सखियों द्वारा आँगनबाड़ी सेविकाएँ तथा सहियाओं के समन्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता था। इनमें प्रमुखतः-

क) गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, नियमित ए०एन०सी० जाँच कराने, संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित करना ;

ख) गर्भवती महिलाओं के घर का पाक्षिक भ्रमण कर उचित स्वास्थ्य एवं पोषण सलाह देना, प्रसव पूर्व की तैयारी करवाना, पोषण क्षेत्र में उपलब्ध पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी देना एवं आँगनबाड़ी सेविका एवं सहियाओं के समन्वयन में इन सेवाओं का लाभार्थी को सुलभतापूर्वक उपलब्ध कराना ;

ग) जन्म उपरांत शिशु को स्तनपान कराना, नवजात का वजन कराना, जन्म पंजीकरण कराना, पूर्ण चक्र टीकाकरण कराना, जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य देखभाल हेतु जच्चा एवं इसके परिवारजनों को स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सलाह उपलब्ध कराना ;

घ) जच्चा-बच्चा के घर महीने में तीन बार भ्रमण कर वृद्धि निगरानी करना तथा उन्हें स्वास्थ्य, पोषण संबंधी सलाह देना, छह माह तक केवल स्तनपान एवं इस अवधि उपरांत स्तनपान के साथ-साथ पौष्टिक आहार का पान बच्चों को कराने हेतु धातृ माताओंएवं इसके परिवारजनों को सलाह देना, पोषण क्षेत्र में प्रदाय आँगनबाड़ी सेवाओं संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना ;

ङ) बच्चे में कुपोषण के लक्षण दिखने पर उसका नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करना एवं उसके परिवारजनों को उचित पोषण एवं स्वास्थ्य सलाह देना ;

च) कुपोषण उन्मूलन, रक्तअल्पतता उन्मूलन, उचित स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी व्यवहार्यता तथा स्वच्छता संबंधी आदतों का व्यापक प्रचार-प्रसार करना एवं इस संबंधी जानकारियाँ समुदाय आधारित आयोजनों में हितधारकों को उपलब्ध कराना ;

छ) कुपोषित बच्चों की पहचान करना, आवश्यकतानुरूप उसे कुपोषण उपचार केन्द्र पहुँचवाना, उसके पुनर्वास का नियमित अनुश्रवण करना, परिवारजनों को स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सलाह उपलब्ध कराना, बच्चे के देखभालकर्त्ता को बच्चों को उचित पोषण उपलब्ध कराने का सलाह देना, समुदाय स्तर पर परामर्श सत्र का आयोजना कराना ;

ज) किशोरी बालिकाओं को चिन्हित कर सूची बनाना, उनसे नियमित सम्पर्क में रहकर स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी परामर्श उपलब्ध कराना, प्रत्येक छह माह में नियमित रूप से हिमोग्लोबिन की जाँच करवाना एवं कृमिनाशक दवाओं का सेवन करवाना, नियमित रूप से आयरन गोली ग्रहण करने हेतु प्रेरित करना;

-इत्यादि सन्निहित थे।

6. अपितु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पोषण सखियों के मानदेय भुगतान में केन्द्रीय अंशदान विमुक्ति बंद (discontinue) कर देने के फलस्वरूप विभागीय संकल्पांक-720, दिनांक-24.03.2022 द्वारा इनकी सेवा दिनांक-01.04.2022 के प्रभाव से समाप्त कर दी गई।

7. पोषण सखियों के सेवा के कारण राज्य के उक्त छह जिलों में कुपोषण एवं रक्तअल्पतता सहित विभिन्न पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न सूचकांकों में सुधार हुआ। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 एवं 5 की तुलना संबंधी विवरणी इसे स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करती है।

ऐसे में वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में कार्यान्वित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को सफल बनाने एवं उद्देश्यों की स-समय प्राप्ति हेतु पोषण सखियों की सेवा प्राप्त करना महत्वपूर्ण है।

उक्त के आलोक में झारखण्ड विधान सभा में माननीय सदस्यों द्वारा विभिन्न माध्यमों यथा- गैर संकल्प की सूचना, निवेदन की सूचना, शुन्यकाल की सूचना, अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से पोषण सखी की सेवा पुनर्बहाली का मामला उठाया गया एवं सरकार से पुनर्बहाल

करने का अनुरोध किया गया है। एतद् संदर्भ में विधान सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाकर चर्चा भी हुई। इन कर्मियों की सेवा पुनर्बहाली हेतु विभिन्न संगठनों से राज्य सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं एवं इस पर विभाग स्तर पर विचार करने हेतु अनुरोध किया जाता रहा है।

8. कुपोषण एवं रक्त अल्पतता उन्मूलन हेतु राज्य में सम्प्रति 1000 दिवसीय समर (SAAMAR : Strategic Action For Alleviation of Malnutrition &Anemia Reduction) अभियान तथा C-MAM : Community Management of Acute Malnutrition कार्यक्रम का गहन कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इनके मूल उद्देश्यों में कुपोषण एवं रक्त अल्पतता प्रभावित बच्चों, किशोरियों एवं गर्भवती/धात्रृ महिलाओं को समुदाय स्तर पर उपचार देखभाल एवं निगरानी तथा स्वास्थ्य सुधार का अनुश्रवण सुनिश्चित कराया जाना है।

इसके दृष्टिगत् न्यूनतम रूप में कुपोषण एवं रक्त अल्पतता से अति प्रभावित उपर्युक्त उल्लिखित छह जिलों यथा-धनबाद, दुमका, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा तथा गोड्डा जिलों में अतिरिक्त सेविका-सह-पोषण परामर्शी (पोषण सखी) के पुनर्बहाली की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

9. साथ ही संबंधित जिला प्राधिकारों के साथ निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड द्वारा बैठक की गई जिसमें जिला प्राधिकारों द्वारा प्रस्तावित किया गया कि यदि आंगनवाड़ी सेविका-सह-पोषण परामर्शी (पोषण सखी) का पुनः नियोजन किया जाय तो 'कुपोषण मुक्त झारखण्ड की संकल्पना' को साकार करने में बल मिल सकेगा।

जिला प्राधिकारोंसे प्राप्त मंतव्य के दृष्टिगत् निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड द्वारा आंगनवाड़ी सेविका-सह-पोषण परामर्शी (पोषण सखी) को पुनः नियोजित करने का प्रस्ताव विभाग को समर्पित किया गया है।

10. वर्णित परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरांत निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जाती है-

i. वित्तीय वर्ष-2022-23 तक नियमसम्मत रूप से चयनित एवं उक्त वित्तीय वर्ष-2022-23 में कार्यरत अतिरिक्त आँगनबाड़ी सेविका-सह-पोषण परामर्शी (पोषण सखी) को पुनर्बहाल किया जायेगा। पोषण सखियों के रिक्त पदों पर नवीन चयन नहीं की जायेगी ;

ii. पोषण सखियों के पुनर्बहाली हेतु निम्न प्राधिकारों द्वारा निम्नवत् विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन किया जायेगा:-

a. पोषण सखियों के पुनर्बहाली हेतु संबंधित जिले के प्राधिकारों की निम्नवत् अनुशंसात्मक समिति गठित होगी:-

a)	उपविकास आयुक्त	:-	अध्यक्ष
b)	जिला समाज कल्याण पदाधिकारी	:-	सदस्य-सचिव
c)	पोषक क्षेत्र नियंत्री बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (पोषक क्षेत्र जहाँ पुनर्बहाली हेतु विचारित पोषण सखी कार्यरत रही हो)	:-	सदस्य

b. उक्त समिति द्वारा पुनर्बहाली हेतु कार्यरत रही पोषण सखी की सूची प्रारूपित की जायेगी जिसमें:-

क) वित्तीय वर्ष-2022-23 तक नियमसम्मत रूप से चयनित ;

ख) वित्तीय वर्ष-2022-23 में कार्यरत ;

ग) पुनर्बहाली (निर्धारित शर्त्तों के तहत्) हेतु इच्छुक, स्वस्थ तथा 60 वर्ष से कम आयु की उक्त कंडिका-ख में वर्णित पोषण सखी ;

घ) आवश्यक अन्य शर्त्तो, जैसा उक्त समिति उचित समझे ;

- आधारित तथ्य एवं सूचनाएँ सन्निहित होंगे।

c. समिति सूची प्रारूपित कर पोषण सखियों के पुनर्बहाली हेतु अपनी स्पष्ट अनुशंसा प्रस्तुत करेगी जिस आधार पर जिले के उपायुक्त द्वारा पोषण सखियों से संदर्भित विभिन्न राज्यादेशों के आधार पर सम्यक् निर्णय लेते हुए पोषण सखियों के पुनर्बहाली हेतु आदेश निर्गमण की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

iii. इन कर्मियों द्वारा विभागीय संकल्पांक-2126, दिनांक-21.09.2015 द्वारा निर्गत मार्गनिर्देश अनुरूप तथा समय-समय पर निर्गत राज्यादेशों द्वारा निर्धारित कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा ;

iv. इन कर्मियों को मानदेय भुगतान पूर्ववत प्रतिमाह रू०-3,000/- की दर से भुगतेय होगा। एतद् भुगतान शत्-प्रतिशत् राज्य मद से वहन किया जायेगा।

एतद् भुगतान राज्य योजनान्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों का स्थापना, सुदृढ़ीकरण एवं संचालन योजना अधीन कराया जायेगा ;

इन कर्मियों द्वारा पुनर्बहाली उपरांत योगदान की तिथि से मानदेय भुगतान किया जायेगा एवं दिनांक-01.04.2022 से इस योगदान की तिथि के मध्य की अवधि के मानदेय संबंधी किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।

v. इन कर्मियों को विभागीय संकल्पांक-2126, दिनांक-21.09.2015, संकल्पांक-2620, दिनांक-03.12.2015 तथा एतद् अनुक्रमण में दिनांक-24.03.2022 के पूर्व निर्गत राज्य सरकार के विभिन्न आदेशों द्वारा निर्धारित पूर्व प्रदत्त सुविधाएँ प्रदत्त होंगी।

इन कर्मियों की सेवा पूर्णतः अस्थायी प्रकृति की होगी एवं भविष्य में नियमितिकरण संबंधी किसी प्रकार का दावा अमान्य होगा।

vi. पोषण सखियाँ अपने आयु आधारित सेवाकाल (अधिकतम आयु 60 वर्ष) पूर्ण होने पर चयन मुक्त हो जायेंगे तथा एतद् धारित पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे। साथ ही कर्मियों के रिक्त पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे अतएव इन पदों पर नवीन नियुक्तियाँ नहीं किये जायेंगे।

11. अतिरक्त आँगनबाड़ी सेविका-सह-पोषण परामर्शी (पोषण सखी) को मानदेय भुगतान हेतु राशि की निकासी एवं व्यय निम्न बजटीय शीर्षो:-

(क) जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना- बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना,-उपशीर्ष-BK-आंगनबाड़ी केन्द्रों का स्थापना, सुदृढ़ीकरण एवं संचालन योजना ;

(ख) अन्य क्षेत्रीय उपयोजना- बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-102-बाल कल्याण, उपशीर्ष-BK-आंगनबाड़ी केन्द्रों का स्थापना, सुदृढ़ीकरण एवं संचालन योजना ;

- के उपयुक्त अनुगामी शीर्षों/इकाईयों के अधीन की जायेगी।

12. जिलों से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वित्तीय वर्ष-2022-23 में 9,039 अतिरिक्त आँगनबाड़ी सेविका-सह-पोषण परामर्शी (पोषण सखी) कार्यरत रहना संसूचित है जिसके दृष्टिगत् कंडिका10 (iv) के उल्लेखनानुसार राज्य मद पर कुल रू०-3254.04 लाख (रू० 9039*3000*12) का प्रतिवर्ष वित्तीय भार आकलित है अपितु यह कंडिका-10 (ii) के प्रावधानानुसार अन्तिम रूप से पुनर्बहाल पोषण सखियों की संख्या पर निर्भर होगी।

राज्य योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों का स्थापना, सुदृढ़ीकरण एवं संचालन योजनान्तर्गत मानदेय इकाई अधीन TSP मद में रू०-18879.50 लाख एवं OSP मद में रू०-17594.00 लाख अर्थात कुल रू०-36473.50 लाख का बजटीय उपबंध प्राप्त है जिससे पोषण सखियों को मानदेय भुगतान किया जायेगा।

13. एतद् संबंधी प्रावधान इसके संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

14. एतद् पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-29.08.2024 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या-44 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 273 - 50